Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 50–2025] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025 (AGRAHAYANA 25, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 दिसंबर, 2025

संख्या 12/250–2025/पुरा/4876–85.– चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों तथा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणाा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं;

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
बाबू बाल मुकुंद की विरासती हवेली	बाबू बाल मुकुंद की विरासती हवेली	गुड़ियानी	कोसली/रेवाड़ी	लाल डोरा	361.73 वर्ग मीटर	ग्राम पंचायत	गुड़ियानी एक समृद्ध इतिहास वाला गाँव है, जो विशिष्ट वस्तुओं और समुदायों के लिए जाना जाता है। यह हवेली गाँव के सांस्कृतिक गतिशीलता, विशेष रूप से शिक्षा के संबंध में, को उजागर करता है और बाल मुकुंद गुप्त जिनका जन्म 1865 में हुआ, को महाजन समुदाय के एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है,

							जिन्होंने शिक्षा को अपनाया और अपने समय की ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित होकर एक प्रमुख लेखक और देशभक्त बने। इस गाँव में रहने वाले दो प्रमुख समुदाय थेरू घोड़ों के ''अफगान'' व्यापारी और महाजन जो छोटे–मोटे व्यवसाय करते थे और साहूकारी करते थे। बहुसंख्यक अफगानों ने अपने बच्चों को उर्दू और फारसी भाषा में शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महाजनों ने नहीं। बालमुकुंद गुप्त महाजन समुदाय के पहले बालक थे, जिन्होंने उर्दू और फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की। बालमुकुंद के पूर्वज रोहतक जिले के डीघल से झज्जर और फिर कोसली चले गए थे। यहीं से वे व्यवसाय की तलाश में फैल गए। गोवर्धन दास के नेतृत्व में एक शाखा गुड़ियानी में बस गई। गोवर्धन के दो बेटे थे, जिनमें से एक की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई और दूसरी पूरण माई ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला। इस पूरण माई के तीन बेटे और दो बेटियाँ थीं। सबसे बड़े बेटे का नाम बालमुकुंद गुप्त था, जिसे 1875 में दस साल की उम्र में स्कूल भेजा गया था। बालमुकुंद गुप्त की उर्दू और फारसी भाषा पर पकड़ अद्भुत थी। उनके गुरु, मुंशी वजीर मुहम्मद खान और बरकत अली ने उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें लेखन के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन दिनों कविताएँ लिखना एक प्रचलित चीज थी। पास का झज्जर शहर, जो कभी एक मुस्लिम नवाब का गढ़ था, मुशायरों की परंपरा का गौरव प्राप्त था। बालमुकुंद की ''शाद'' (खुशी) उपनाम से लिखी कविताएँ झज्जर के मुशायरों में सुनाई जाती थीं और तालियाँ बटोरती थीं। उन्होंने गुलदस्तों के लिए भी लिखना शुरू किया, जो उस समय भी प्रचलित थे। इन गुलदस्तों के बारे में बालमुकुंद ने बाद में लिखा। बालमुकुंद गुप्त के लेख, खासकर ''मिस्टर हिंदी'' उपनाम से लिखे गए लेख और अवध पंच में हल्के–फुल्के छंदों ने उन्हें पहचान दिलाई।

अमित कुमार अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 11th December, 2025

No. 12/250- 2025/pura/4876-85.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains and ancient and historical monument specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964(Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monument specified in column 1 of the Schedule given below, to be a protected archaeological sites and remains as specified in columns 2,3,4,5,6 and 7 of the Schedule to be a protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Heritage and Tourism Department, Chandigarh from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified:-

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil / district.	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Babu Bal Mukund's Heritage Mansion	Babu Bal Mukund's Heritage Mansion	Guriani	Kosli/ Rewari	Lal Dora	361.73 sq. metre	Gram Panchayat	Guriani is a village with a rich history, known for specific commodities and communities. This Mansion highlights the cultural dynamics within the village, particularly regarding education, and introduces Bal Mukund Gupta born in 1865, as a pioneering individual from the Mahajan community who embraced education and became a prominent writer and patriot, influenced by the historical events of his time. The two principal communities that resided in this village were the "Afghan" traders in horses and the Mahajans who carried on petty business and did money lending. The Afghans who constituted majority encouraged their children to go for education in Urdu and Persian, but not the Mahajans. Balmukund Gupta was the first child of the Mahajan community to go for education in Urdu and Perisan language. Balmujund's ancestors had migrated from village Dhigal (Rohtak District) to Jhajjar District and then on to Kosli (District Rewari). From here, they spread out in search of business. One branch headed by Govardhan Das had settled down in Guriyani. Govardhan had two sons, one of whom died in his youngest and the other one Puran Mai carried on the family business. Puran Mai had three sons and two daughters. The eldest son was Balmukund Gupta, who was sent to school in 1875 at the age of ten. Balmukund Gupta's command of Urdu and Perisan was enviable. His teachers, Munshi Wazir Muhammad Khan and Barakat Ali encouraged him in the pursuit of knowledge. They encouraged him to write too. The thing in vogue in those days was to compose poems. The close by town of Jhajjar, once the seat of a Muslim Nawab, boasted of a tradition of mushairas. Balmukund's poems written under the pen name of "Shaad" (happiness) were recited at mushairas in Jhajjar and drew applause. He also started writing for the guldastas, which were also in vogue at that time. Balmukund Gupta recognized for his work like articles, especially those under the pen-name of "Mr. Hindi" and light verses in Oudh Punch.

AMIT KUMAR AGRAWAL,
Commissioner & Secretary to Government Haryana,
Heritage and Tourism Department.

12239—C.S.—H.G.P., Pkl.